

Summary of GM JJ NOC in respect of Magadh Railway Siding

Plot Details of GM JJ Land in Magadh Railway Siding					NOC Granted vide No./Date					
					533	57	681	713	755	Total
					27.07.2021	10.01.2023	18.10.2023	01.11.2023	10.11.2023	NOC
SI No	Village	Khata NO	Plot No	Area	Acre	Acre	Acre	Acre	Acre	Acre
1	Ara	175	321 P	13.96	6.18	9.91	0	0	0	16.09
2	Ara	175	443	8.60	0.89	7.71	0	0	0	8.60
3	Ara	175	327	0.86	0	0.86	0	0	0	0.86
4	Ara	175	324P	7.61	3.16	7.09	0	0	0	10.25
5	Ara	175	440P	1.75	0	1.75	0	0	0	1.75
6	Ara	174	1983P	0.32	0	0	0	0.32	0	0.32
Total NOC Required in Ara Village				33.10	Total NOC Obtained in Ara Village					37.87
7	Chamatu	213	442P	3.13	3.11	0.5	0	0	0	3.61
Total NOC Required in Chamatu				3.13	Total NOC Obtained in Chamatu Village					3.61
8	Chetar	156	562P	1.16	0	1.16	0	0	0	1.16
9	Chetar	155	566P	11.61	0	0	0	0	11.61	11.61
Total NOC Required in Chetar				12.77	Total NOC Obtained in Chetar Village					12.77
10	Phulbasia	324	1566P	4.14	3.93	0.21	0	0	0	4.14
11	Phulbasia	324	1609	0.54	0	0.54	0	0	0	0.54
12	Phulbasia	324	1600	0.18	0	0.18	0	0	0	0.18
13	Phulbasia	324	1626P	1.62	1.66	0	0	0	0	1.66
14	Phulbasia	324	1674	1.18	1.19	0	0	0	0	1.19
15	Phulbasia	324	1676	0.08	0.07	0.01	0	0	0	0.08
16	Phulbasia	324	1678	1.76	1.70	0.06	0	0	0	1.76
17	Phulbasia	324	1680P	2.58	2.08	0.5	0	0	0	2.58
18	Phulbasia	324	1751P	0.11	0	0	0.11	0	0	0.11
19	Phulbasia	324	1741P	19.86	11.59	8.27	0	0	0	19.86
20	Phulbasia	323	1668P	0.74	0	0	0	0.74	0	0.74
Total NOC Required in Phulbasia				32.79	Total NOC Obtained in Phulbasia Village					32.83
GT NOC Required				81.79	GT NOC Obtained					87.09


 SADALA SATYANARAYAN
 Project Officer
 Magadh OCP

Project Officer
Magadh OCP

आयुक्त कार्यालय, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

पत्रांक 533 /

प्रेषक

आयुक्त
पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

सेवा में

उपायुक्त,
लातेहार।

मेदिनीनगर, दिनांक 28.07.2021 /

विषय : मगध परियोजना क्षेत्र सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग के लिए गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि के अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 575/रा0 दिनांक 22.07.2021।

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि लातेहार जिलान्तर्गत अंचल-बालूमाथ एव बारियातू में मगध परियोजना क्षेत्र सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग के अंतर्गत पड़ने वाली कुल 2248 हे0 गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि के अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा की गई है। प्रतिवेदनानुसार वर्णित भूमि अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की भूमि है, जिसका किस्म जंगल-झाड़ी है। प्रस्तावित भूमि "अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन भूमि से बाहर है।"

उपरोक्त प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार निम्न भूमि गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी के रूप में प्रतिवेदित है :-

मगध परियोजना क्षेत्र सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग के अंतर्गत पड़ने वाली गैरमजरूआ

जंगल-झाड़ी भूमि की विवरणी :-

क्रम सं0	जिला	अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता संख्या	सर्वे प्लॉट सं0	किस्म	रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	लातेहार	बालूमाथ	चमातू/56	213	1368P	जंगल-झाड़ी	1.07
2.	लातेहार	बालूमाथ	चमातू/56	213	438P	जंगल	2.12
3.	लातेहार	बालूमाथ	चमातू/56	213	442P	जंगल-झाड़ी	1.26
कुल :-							4.45
4.	लातेहार	बालूमाथ	आरा/55	175	321P	जंगल-झाड़ी	2.5
5.	लातेहार	बालूमाथ	आरा/55	175	324P	जंगल-झाड़ी	1.28
6.	लातेहार	बालूमाथ	आरा/55	175	443P	जंगल-झाड़ी	0.36
कुल :-							4.14
7.	लातेहार	बारियातू	फुलबसीय उर्फ अमरवाडीह/58	324	1566P	जंगल-झाड़ी	1.59
8.	लातेहार	बारियातू	फुलबसीय उर्फ अमरवाडीह/58	324	1626P	जंगल-झाड़ी	0.67
9.	लातेहार	बारियातू	फुलबसीय उर्फ अमरवाडीह/58	324	1674	जंगल-झाड़ी	0.48
10.	लातेहार	बारियातू	फुलबसीय उर्फ अमरवाडीह/58	324	1676	जंगल	0.03
11.	लातेहार	बारियातू	फुलबसीय उर्फ अमरवाडीह/58	324	1678P	जंगल-झाड़ी	0.69
12.	लातेहार	बारियातू	फुलबसीय उर्फ अमरवाडीह/58	324	1741P	जंगल-झाड़ी	4.69
13.	लातेहार	बारियातू	फुलबसीय उर्फ अमरवाडीह/58	324	1697P	जंगल	4.9

14.	लातेहार	बारियातू	फुलबरीय उर्फ अमरवाडीह / 58	324	1680P	जंगल-झाड़ी	0.84
कुल :-							13.89
कुल योग :-							22.48

मगध परियोजना क्षेत्र, सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग हेतु उपरोक्त भूमि कुल रकबा-22.48 हे0, जो गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि के रूप में अंकित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन से बाहर है, का राजस्व विभागीय सकल्प रा0-1817/रा0 दिनांक 30.04.2015 के आलोक में सम्यक विचारोपरात उपर्युक्त प्रस्तावित गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि के अपयोजन हेतु सैद्धांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल, जंगल-झाड़ी, सखुआ इत्यादि) भूमि के विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

2. गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल, जंगल-झाड़ी, सखुआ इत्यादि) भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद प्रयोक्ता एजेंसी को उक्त भूमि के उपयोग की अनुमति तबतक नहीं दी जायेगी जबतक उसके विधिवत हस्तांतरण हेतु राज्यादेश निर्गत नहीं कर दिया जाय।
3. उपायुक्त, लातेहार द्वारा भूमि के हस्तांतरण से पूर्व स्थल जाय, करायी जाय तथा प्रासंगिक खतियान एवं नक्शा की सत्यापित प्रति से मिलान कर आश्वस्त होने पर ही भूमि का हस्तांतरण किया जाय।
4. यह अनापत्ति उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक 576/रा0 दिनांक 23.07.2021 एवं पत्रांक 575/रा0 दिनांक 22.07.2021 के द्वारा की गयी अनुशंसा एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा उपायुक्त, लातेहार को प्रेषित पत्रांक 3272/रा0 दिनांक 12.11.2020 एवं पत्रांक 1821/रा0 दिनांक 27.05.2021 एवं तदनुसार परियोजना पदाधिकारी, मगध परियोजना के Ref No.-PO(M)/PD/Undertaking/2020-21/1990 Dated-05.12.2020 के द्वारा दिये गये Undertaking के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
5. यह अनापत्ति इस शर्त पर प्रदान किया जा रहा है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 4908 दिनांक 17.12.2019 के संदर्भ में विभाग को कोई आपत्ति नहीं हो।

विश्वासभाजन,

प्रामाण्य,
पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

आयुक्त कार्यालय, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

पत्रांक 57 /

प्रेषक,

आयुक्त,
पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

सेवा में,

उपायुक्त,
लातेहार।

मेदिनीनगर, दिनांक 10/01/2023 /

विषय :- मगध परियोजना क्षेत्र सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग के लिए गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि के अनापत्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 1605 / रा0 दिनांक 23.12.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लातेहार जिलान्तर्गत अंचल-बालूमाथ एवं बारियातू में मगध परियोजना क्षेत्र सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग के अंतर्गत पड़ने वाली कुल 46.69 एकड़ गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि के अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा की गई है। प्रतिवेदनानुसार वर्णित भूमि अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की भूमि है, जिसका किस्म जंगल, जंगल-झाड़ी है। प्रस्तावित भूमि "अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन भूमि से बाहर है।"

उपरोक्त प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार निम्न भूमि गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी के रूप में प्रतिवेदित है :-

मगध परियोजना क्षेत्र सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग के अंतर्गत पड़ने वाली गैरमजरूआ

जंगल-झाड़ी भूमि की विवरणी :-

क्रम सं0	जिला	अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता संख्या	सर्वे प्लॉट सं0	किस्म	रकबा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	लातेहार	बालूमाथ	आरा	175	321P	जंगल	9.91
2.	लातेहार	बालूमाथ	आरा	175	443	जंगल	7.71
3.	लातेहार	बालूमाथ	आरा	175	327	जंगल	0.86
4.	लातेहार	बालूमाथ	आरा	175	324P	जंगल	7.09
5.	लातेहार	बालूमाथ	आरा	175	440P	जंगल	1.75
कुल :-							27.32
6.	लातेहार	बालूमाथ	चमातु	213	1368P	जंगल	0.89
7.	लातेहार	बालूमाथ	चमातु	213	438P	जंगल	1.88
8.	लातेहार	बालूमाथ	चमातु	213	442P	जंगल	0.50
कुल :-							3.27
9.	लातेहार	बालूमाथ	घेटर	156	562P	जंगल	1.16
कुल :-							1.16
10.	लातेहार	बालूमाथ	सेरेगड़ा	467	494P	जंगल	3.68
11.	लातेहार	बालूमाथ	सेरेगड़ा	467	418P	जंगल	1.38
कुल :-							5.06
12.	लातेहार	बारियातू	फूलबसीय उर्फ अमरवाडीह	324	1566P	जंगल	0.21
13.	लातेहार	बारियातू	फूलबसीय उर्फ अमरवाडीह	324	1609	जंगल	0.54
14.	लातेहार	बारियातू	फूलबसीय उर्फ अमरवाडीह	324	1600	जंगल	0.18

15	लातेहार	बारियातू	फुलबरीय उप अमरवाडीह	324	1676	जंगल	0.01
16	लातेहार	बारियातू	फुलबरीय उप अमरवाडीह	324	1678	जंगल	0.06
17	लातेहार	बारियातू	फुलबरीय उप अमरवाडीह	324	1680P	जंगल	0.50
18	लातेहार	बारियातू	फुलबरीय उप अमरवाडीह	324	1771P	जंगल	0.11
19	लातेहार	बारियातू	फुलबरीय उप अमरवाडीह	324	1741P	जंगल	8.27
कुल :-							9.88
कुल योग :-							46.69

मगध परियोजना क्षेत्र, सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग हेतु उपरोक्त भूमि कुल रकबा-46.69 एकड़, जो गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि के रूप में अंकित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन से बाहर है, का राजस्व विभागीय संकल्प सं0-1817/रा0 दिनांक 30.04.2015 के आलोक में सम्यक विचारोपरांत उपर्युक्त प्रस्तावित गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि के अपयोजन हेतु रीढ़ांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् गैरमजरूआ Decmed Forest (जंगल, जंगल-झाड़ी, सखुआ इत्यादि) भूमि के विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Decmed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

2. गैरमजरूआ Decmed Forest (जंगल, जंगल-झाड़ी, सखुआ इत्यादि) भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के बन्ध प्रयोक्ता एजेंसी को उक्त भूमि के उपयोग की अनुमति तबतक नहीं दी जायेगी जबतक उसके विधिवत हस्तांतरण हेतु राज्यादेश निर्गत नहीं कर दिया जाय।
3. उपायुक्त, लातेहार द्वारा भूमि के हस्तांतरण से पूर्व स्थल जांच करायी जाय तथा प्रासंगिक खतियान एवं नक्शा की सत्यापित प्रति से मिलान कर आवश्यक होने पर ही भूमि का हस्तांतरण किया जाय।

विश्वासभाजन,

02/09/2023
आयुक्त,
पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक-.....7.5...../रा0, दिनांक-.....1.1...../.....0.1...../2023
प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक, मगध-संघमित्रा क्षेत्र, सी0सी0एल0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्ता,
लातेहार।

आयुक्त कार्यालय, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

शुद्धि-पत्र

उपायुक्त, लातेहार का पत्रांक 117/रा0 दिनांक 18.07.2023 से सूचित किया गया है कि आयुक्त, पलामू प्रमण्डल का पत्रांक 27 दिनांक 10.01.2023 द्वारा लातेहार जिला अंतर्गत अंचल- बालुमाथ एवं बारियातु में अवस्थित मगध परियोजना क्षेत्र सी0सी0एल0 को मगध रेलवे साईडिंग के लिए गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि रकबा 46.69 एकड़ अपयोजना हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गयी है। टंकण भूलवश मौजा- सेरेगड़ा, खाता- 467, प्लॉट- 481P रकबा- 1.38 एकड़ के स्थान पर खाता संख्या- 467, प्लॉट- 418P रकबा- 1.38 एकड़ तथा मौजा- फुलबसिया उर्फ अमरवाडीह, खाता- 324 प्लॉट- 1751P रकबा- 0.11 एकड़ के स्थान पर खाता- 324 प्लॉट- 1771P रकबा- 0.11 एकड़ अंकित हो गया है। अतः मौजा- सेरेगड़ा के प्लॉट-418P के स्थान पर 481P एवं मौजा- फुलबसिया उर्फ अमरवाडीह के प्लॉट- 1771P के स्थान पर 1751P का शुद्धिपत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

उपायुक्त, लातेहार की उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में आयुक्त, पलामू प्रमण्डल का पत्रांक 57 दिनांक 10.01.2023 से निर्गत मगध परियोजना क्षेत्र सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग के लिए गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि के अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित भूमि के विवरणी में क्रम संख्या 11 एवं क्रम संख्या 18 में वर्णित भूमि का टंकण भूलवश अंकित गलत प्लॉट संख्या को निम्नवत संशोधित किया जाता है :-

क्रम सं०	जिला	अंचल	मौजा/थाना नं०	खाता संख्या	सर्वे प्लॉट सं०	किस्म	रकबा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	लातेहार	बालुमाथ	सेरेगड़ा	467	481P	जंगल	1.38
18	लातेहार	बारियातु	फुलबसिया उर्फ अमरवाडीह	324	1751P	जंगल	0.11

आयुक्त, पलामू प्रमण्डल का पत्रांक 57 दिनांक 10.01.2023 के शेष अंश यथावत रहेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

आयुक्त,

पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

ज्ञापक.....681 / मेदिनीनगर, दिनांक 18.10.2023

प्रतिलिपि :- सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 आयुक्त,
 पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।


 P. K. SATYANARAYAN
 Project Officer
 Magadh OCP

आयुक्त कार्यालय, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

(4)

प्रेषक

पत्रांक 713

सेवा में

आयुक्त
पलामू प्रमण्डल मेदिनीनगर।

उपायुक्त,
लातेहार।

मेदिनीनगर, दिनांक 01/11/2023

विषय :-

मगध परियोजना क्षेत्र सी0सी0एल0 के मगध ओ0सी0पी0 के लिए मगध रेलवे साईडिंग के निर्माण में पड़ने वाली गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि के अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक 1502/रा0 दिनांक 25.10.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लातेहार जिलान्तर्गत अचल-बालूमाथ एवं बारियातू में मगध परियोजना क्षेत्र सी0सी0एल0 के मगध ओ0सी0पी0 के लिए मगध रेलवे साईडिंग के निर्माण में पड़ने वाली कुल 12.67 एकड़ गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि के अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा की गई है। प्रतिवेदनानुसार प्रस्तावित भूमि का किस्म जंगल जंगल-झाड़ी इत्यादि है, जो "अधिसूचित वन सीमा क्षेत्र से बाहर है।"

उपरोक्त प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार निम्न भूमि गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी के रूप में प्रतिवेदित है :-

मगध परियोजना क्षेत्र सी0सी0एल0 के मगध ओ0सी0पी0 के लिए मगध रेलवे साईडिंग के निर्माण में पड़ने वाली गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि की विवरणी :-

क्रम सं0	जिला	अंचल	मौजा/थाना न0	खाता संख्या	सर्वे प्लॉट सं0	किस्म	रकबा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लातेहार	बालूमाथ	आरा	174	1983P	जंगल	0.32
2	लातेहार	बालूमाथ	आरा	175	566P	जंगल	11.61
						कुल :-	11.93
3	लातेहार	बारियातू	फूलबसिया उर्फ अमरवाडीह	323	1668P	जंगल	0.74
						कुल :-	0.74
						कुल योग :-	12.67

मगध परियोजना क्षेत्र सी0सी0एल0 के मगध ओ0सी0पी0 के लिए मगध रेलवे साईडिंग के निर्माण हेतु उपरोक्त भूमि कुल रकबा-12.67 एकड़, जो गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि के रूप में अंकित है तथा अधिसूचित वन सीमा क्षेत्र से बाहर है, का राजस्व विभागीय सक्त सं0-1817/रा0 दिनांक 30.04.2015 के आलोक में सम्यक विचारोपरांत उपर्युक्त प्रस्तावित गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि के अपयोजन हेतु सैद्धांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल, जंगल-झाड़ी संयुक्त इत्यादि) भूमि के विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा।

गैरमजरूआ जंगल-झाडी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

2. गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल, जंगल झाडी, सखुआ इत्यादि) भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद प्रयोक्ता एजेंसी को उक्त भूमि के उपयोग की अनुमति तबतक नहीं दी जायेगी जबतक उसके विधिवत हस्तांतरण हेतु राज्यादेश निर्गत नहीं कर दिया जाय।
3. उपायुक्त, लातेहार द्वारा भूमि के हस्तांतरण से पूर्व स्थल जांच करायी जाय तथा प्रासंगिक खतियान एवं नक्शा की सत्यापित प्रति से मिलान कर आश्वस्त होने पर ही भूमि का हस्तांतरण किया जाय।

विश्वासभाजन,

 11/11/2023

आयुक्त,

पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।


SADALA SATISH CHANDRA
Project Officer
Magadh OCP

आयुक्त कार्यालय, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

शुद्धि-पत्र

उपायुक्त, लातेहार का पत्रांक 1502/रा0 दिनांक 25.10.2023 से प्राप्त अनुसंशा के आलोक में आयुक्त, पलामू प्रमण्डल का पत्रांक 713 दिनांक 01.11.2023 से लातेहार जिला अंतर्गत अंचल-वालुमाथ एवं चारियातु में अवस्थित मगध परियोजना क्षेत्र सी0सी0एल0 के मगध ओ0सी0पी0 के लिए मगध रेलवे साईडिंग के निर्माण में पड़ने वाली गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि रकबा 12.67 एकड़ के अपयोजन हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गयी है। उपायुक्त, लातेहार का पत्रांक 1539/रा0 दिनांक 06.11.2023 से प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त सहमति पत्र में टंकण भूलवश मौजा-चेटर, खाता-155, प्लॉट-566P, रकबा-11.61 एकड़ के स्थान पर मौजा-आरा, खाता संख्या-175, प्लॉट-566P, रकबा-11.61 एकड़ अंकित हो गया है। अतः मौजा-आरा, खाता संख्या-175 के स्थान पर मौजा-चेटर एवं खाता रां0-155 का शुद्धिपत्र निर्गत करने की अनुसंशा की गयी है।

उपायुक्त, लातेहार की उपर्युक्त अनुसंशा के आलोक में आयुक्त, पलामू प्रमण्डल का पत्रांक 713 दिनांक 01.11.2023 से निर्गत मगध परियोजना क्षेत्र सी0सी0एल0 के मगध ओ0सी0पी0 के लिए मगध रेलवे साईडिंग के निर्माण में पड़ने वाली गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि के अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित भूमि के विवरणी में क्रम संख्या 02 में वर्णित भूमि का टंकण भूलवश अंकित गलत मौजा एवं खाता संख्या को निम्नवत संशोधित किया जाता है :-

क्रम रां0	जिला	अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता संख्या	सर्वे प्लॉट रां0	किस्म	रकबा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	लातेहार	वालुमाथ	चेटर	155	566P	जंगल	11.61

आयुक्त, पलामू प्रमण्डल का पत्रांक 713 दिनांक 01.11.2023 के शेष अंश यथावत रहेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/-

आयुक्त,

पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

डाप्रांक. 755 / मेदिनीनगर, दिनांक. 10/11/23

प्रतिलिपि :- सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


आयुक्त,
पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।


J. DALA SATYANARAYAN
Project Officer
Magadh OCP